बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–02–7013/2024– 38 ~~~/CC /पटना, दिनांक– 17 अप्रैल, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा॰प्र॰से॰,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग।

विषय : **विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2025–26 के लिए निर्धारित ईख मूल्य के दर के अतिरिक्त 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान हेतु अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रूपये का अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत राशि के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंध अन्तर्गत अवशेष राशि मो० 6,58,87,521.00 (छः करोड़ अनठावन लाख सत्तासी हजार पाँच सौ इक्कीस) रूपये का व्यय एवं अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2025–26 के लिए निर्धारित ईख मूल्य के दर के अतिरिक्त 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान हेतु अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रूपये का अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत राशि के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंध अन्तर्गत अवशेष राशि मो० 6,58,87,521.00 (छः करोड़ अनठावन लाख सत्तासी हजार पाँच सौ इक्कीस) रूपये का व्यय एवं अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोत्तरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रूपये का व्यय एवं प्रति वर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। इसके अधीन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–527 स्वी०/सी॰सी॰ दिनांक–12.12.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत मो० 60,94,09,532.00 (साठ करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार पाँच सौ बत्तीस) रूपये आवंटित किया गया था।

अपरिहार्य कारणवश वित्तीय वर्ष 2025–26 में मो० 8,71,19,352.00 (आठ करोड़ इकहत्तर लाख उन्नीस हजार तीन सौ बावन) रूपये की निकासी नहीं हो पायी। पेराई सत्र 2025–26 के लिए चीनी मिलों द्वारा पेराई का कार्य समाप्त कर दिया गया है। संबंधित ईख पदाधिकारियों से 10 रू० प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान हेतु प्राप्त आवश्यक अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के आलोक में मो० 6,58,87,521.00 (छः करोड़ अनठावन लाख सत्तासी हजार पाँच सौ इक्कीस) रूपये गन्ना कृषकों को भुगतान किया जाना है।

3. पेराई सत्र 2025–26 में चीनी मिलो द्वारा क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर 10.00 रू०/क्विंटल की दर से भुगतेय अतिरिक्त ईख मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2852– उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत वर्तमान में कुल उपबंधित राशि मो० 39,99,98,000.00 (उनचालीस करोड़ निनानवे लाख अनठानवे हजार) रूपये में से विकलनीय होगा।

4. चालू पेराई सत्र 2025–26 में गन्ना कृषकों को 10.00 रू०/क्विंटल की दर से ईख मूल्य का भुगतान हेतु CFMS 2.0 के माध्यम से पेयी आईडी बनाने में हो रही कठिनाई एवं इस सन्दर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में गन्ना कृषकों को 10.00 रू०/क्विंटल की दर से ईख मूल्य का भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश आदेश संख्या–527 स्वी०/सी॰सी॰ द्वारा अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तद्नुसार अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

5. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि के अनुसार अपने से संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर सकेंगे। कुल स्वीकृत राशि मो० 6,58,87,521.00 (छः करोड़ अनठावन लाख सत्तासी हजार पाँच सौ इक्कीस) रूपये के अधीन एवं बजट उपलब्धता के अनुसार आवंटित राशि के अन्तर्गत ही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राशि की अग्रिम निकासी की जायेगी। स्वीकृत राशि के अधीन आवश्यकतानुसार ही अग्रिम राशि की निकासी की जायेगी।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है।

7. निकासी की गई अग्रिम राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय बैंक खाता के माध्यम से किसानों के उसी बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी जिस बैंक खाता में चीनी मिल के द्वारा ईख मूल्य का भुगतान किया गया है। चीनी मिल के द्वारा किसानों की सूची, उनसे क्रय किये गये गन्ना की मात्रा, किसानों का बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि जिसमें चीनी मिल के द्वारा किसान को ईख मूल्य भुगतान किया गया है, संबंधित सूचना ईख पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में भी प्रपत्र एवं समयसीमा निर्धारित है। किसानों के संबंध में दी गयी सूचना एवं उनको भुगतान किये जा रही राशि का विवरण चीनी मिल से प्राप्त सूचना पर आधारित है। अतएव इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित चीनी मिल के दखलकार जिम्मेवार होंगे।

8. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ किसानों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद के विरूद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–2890 दिनांक–20.03.2023 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी तथा प्रपत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उक्त स्वीकृति के प्रस्ताव पर संचिका सं०–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–102/टि० पर दिनांक–09.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग की सहमति प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–2890 दिनांक–20.03.2023 के आलोक में व्यय की स्वीकृति एवं अग्रिम निकासी प्रस्ताव पर संचिका सं०–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–102/टि० पर दिनांक–11.04.2026 को माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–38 नि०/CC /पटना, दिनांक– 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–38 नि०/CC /पटना, दिनांक– 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि–समाहर्त्ता, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–38 नि०/CC /पटना, दिनांक– 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/अध्यासी/महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–38 नि०/CC /पटना, दिनांक– 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।